केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 254 रविवार 13 अप्रैल 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

श्रद्धा से मनाया गया श्री हनुमान जन्मोत्सव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

कुदरहा, (बस्ती)। कुदरहा ब्लाक में श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों व गांवों में हनुमान भक्तो ने श्री रामचरित मानस पाठ, सुंदर काण्ड व कीर्तन भजन, हवन का अनुष्ठान किया। इसके पश्चात जगह–जगह प्रसाद वितरण व भंडारे का आयोजन किया गया।

क्षेत्र के श्रीराम जानकी मंदिर कुदरहा, छरदही, जिभियांव, चकिया, चरकैला, डेल्हवा, पाऊं, कोरमा, कलवारी, कुसौरा, गायघाट नगर पंचायत सहित घरो तमाम जगहों पर आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में महंथ संतराम दास, महेंद्र मिश्र, दिलीप गोस्वामी, आनंद दूबे, अजय दूबे, राम प्रकट उपाध्याय, दीपक दूबे, गंगाराम, मनोज गिरी, राजकिशोर, पांचू यादव, वीरेंद्र दूबे सहित तमाम भक्त मौजूद रहे।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कलवारी पुलिस ने एक युवती से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिवम (20) को टांडा पुल चौकी मांझा थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी शिवम ने उसे विवाह का झांसा दिया। इसी बहाने उसने कई बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने शादी की बात की तो आरोपी टालमटोल करने लगा। बाद में उसने शादी से साफ मना कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

थानाध्यक्ष कलवारी जनार्दन प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम ने 12 अप्रैल 2025 को करीब 11 बजे आरोपी को गिरफ्तार किया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की गई। इसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।

आरोपी शिवम अंबेडकरनगर जिले के थाना समनपुर क्षेत्र के माउख गांव का रहने वाला है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद, उपनिरीक्षक शोभा यादव, आरक्षी उमाशंकर यादव, जयदीप यादव और श्याम सुंदर शामिल थे।

100 हो गई यातायात कांसटेबलों की संख्या

भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिले में यातायात सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए एसपी अभिनंदन ने 30 पुलिस कर्मियों की तैनाती यातायात में कर दी है। इनमें कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल शामिल हैं।

यातायात संचालन के लिए पहले से करीब 70 कर्मियों की तैनाती है। अब इनकी संख्या बढ़कर 100 पर पहुंच गई है। इससे शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों के प्रमुख कस्बों में भी जाम की समस्या को दूर करन में मदद मिलेगी।

जिले में विशेषकर नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित बनाए रखने और यातायात पुलिस बल में अत्यधिक कमी को देखते हुए यह स्थानांतरण किया गया है। इस लिस्ट में कोतवाली से पांच, पुरानी बस्ती से दो और वाल्टरगंज से तीन पुलिस कर्मियों को यातायात में तैनात किया गया है। रुधौली, लालगंज, सोनहा, कलवारी, नगर, गौर, पैकोलिया और पुलिस लाइन से दो–दो पुलिस कर्मी, मुंडेरवा, कप्तानगंज, हर्रैया व परसरामपुर से एक–एक पुलिस कर्मियों को यातायात में स्थानांतरित किया गया है।

नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी सक्रिय, कुर्क संपत्तियों पर कब्जे के लिए नोटिस जारी

नई दिल्ली (आभा)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया है, जिसे उसने कांग्रेस नियंत्रित 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच में कुर्क किया था। संघीय जांच एजेंसी ने बयान में कहा कि उसने शुक्रवार को दिल्ली में आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित परिसर और लखनऊ में बिशेश्वर नाथ मार्ग स्थित एजेएल बिल्डिंग पर ये नोटिस चस्पा किए हैं। नोटिस में परिसर खाली करने या मुंबई की संपत्ति के मामले में किराए को ईडी को सौंपने के लिए कहा गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा (8) और नियम 5(1) के तहत यह कार्रवाई की गई है, जो ईडी की ओर से कुर्क की गई और

अथॉरिटी से पुष्टि की गई संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इन अचल संपत्तियों को ईडी ने नवंबर 2023 में कुर्क किया था। प्रवर्तन निदेशालय का मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला एजेएल और यंग इंडियन के खिलाफ है। नेशनल हेराल्ड एजेएल की ओर से प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड' के पास है।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी 'यंग इंडियन' के प्रमुख शेयरधारक हैं और उनमें प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं। ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपये के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपये के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपये के फर्जी विज्ञापनों के रूप में अपराध की आय अर्जित करने के लिए किया गया। बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार 1938 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। एजेएल की ओर से यह प्रकाशित होता था। 2010 में वाईआईएल नामक कंपनी बनी, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38–38: हिस्सेदारी थी।

करणी सेना के सम्मेलन में लहरायी तलवारें

आगरा (आभा)। करणी सेना ने स्वाभिमान रैली निकाली इसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए। युवाओं की भीड़ हथियार और लाठी–डंडे लेकर सम्मेलन में पहुंची। सम्मेलन परिसर से पुलिस को भी बाहर निकाल दिया गया।

राणा सांगा की जयंती पर हो रहे इस आयोजन में एक लाख से अधिक के पहुंचने का दावा किया गया है। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, 'सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर राज्यसभा में दिए गए बयान से सभी राष्ट्रवादियों और देशभक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं.. जो समुदाय अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता, वह प्रगति नहीं करता.

.. लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए... सरकार के प्रतिनिधि बातचीत के लिए आएंगे।

समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पर करणी सेना के तलवार लहराने वाला वीडियो शेयर कर भाजपा पर निशाना साधा है। सपा ने लिखा, हाथों में नंगी तलवारें लेकर दलितों पिछड़ों के नेताओं के सर कलम करने और गंदी गंदी गालियां देने वाले ये आतंकवादी क्या भाजपा सरकार को नहीं दिख रहे?

पाकिस्तान, जम्मू–कश्मीर में भूकम्प से हिली धरती

जम्मू (आभा)। जम्मू कश्मीर में शनिवार दोपहर करीब एक बजे मध्यम तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र पाकिस्तान में था। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घाटी के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन जान–माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया कि 5.8 तीव्रता के भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में था और यह जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था।

वहीं इससे पहले पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में शनिवार को भूकंप के

झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गयी। भूकंप के कारण किसी प्रकार के जान–माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी केंद्र (एनएसएमसी) के अनुसार, अपराह्न करीब 12रू31 बजे देश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र रावलपिंडी से 60 किलोमीटर उत्तर–पश्चिम में जमीन के 12 किलोमीटर नीचे स्थित था।भूकंप पंजाब के अटक, चकवाल और मियांवाली जिलों तथा आस–पास के इलाकों में महसूस किया गया। भूकंप के झटके पेशावर, मर्दन, मोहमंद और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के शबकदर में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान में अक्सर अलग–अलग तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। सबसे घातक भूकंप 2005 में आया था, जिसमें 74,000 से अधिक लोग मारे गए थे।

100 कुंतल से अधिक गेहूं बेचने पर सत्यापन में छूट

लखनऊ (आभा)। उत्तर प्रदेश में 100 कुंतल से ऊपर गेहूं बेचने पर किसानों को सत्यापन से छूट दे दी गई है। किसान अनुमानित उत्पादन के 3 गुने तक बिक्री कर सकेंगे, ताकि अभिलेखों में त्रुटि इत्यादि से गेहूं बेचने में उन्हें परेशानी न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद एवं रसद विभाग ने शनिवार को यह निर्णय लिया। अब सत्यापन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। योगी सरकार ने व्यवस्था की है कि पंजीकृत किसान सत्यापन के बिना भी 100 कुंतल तक गेहूं बेच सकते हैं। सत्यापन के बाद कुल उत्पादकता के आधार पर सापेक्ष उत्पादन क्षमता के तीन गुना

तक गेहूं बेचने की सुविधा है। इससे सत्यापन अथवा अभिलेखों में त्रुटि के कारण किसान को उत्पादित गेहूं बेचने में असुविधा न होगी।

गेहूं की बिक्री के लिए किसान खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs-up-gov-in या विभाग के मोबाइल ऐप UP KISHAN MITRA पर पंजीकरण–नवीनीकरण कराया जा सकता है। इस समय मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। किसानों से 2425 रुपये प्रति कुंतल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है। इसके अलावा 20 रुपये प्रति कुंतल उतराई, छनाई व सफाई के लिए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं।

विभाग का कहना है कि किसी भी समस्या पर टोल फ्री नंबर 18001800150 या जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से भी किया जा सकता है। किसानों की सुविधा के लिए अवकाश के दिनों में भी क्रय केंद्र संचालित हो रहे हैं।

वार्षिकोत्सव, प्रवेश उत्सव में पुरस्कृत हुये छात्र, बढाया हौसला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गौर विकास खण्ड क्षेत्र के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय पेड़रिया में वार्षिकोत्सव, प्रवेश उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र–छात्राओं ने रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मन मोह लिया। अतिथियों ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुये उन्हें पुरस्कृत किया। कक्षा 8 उत्तीर्ण कर चुके छात्रों को स्मृति चिन्ह भेटकर उनके सुखद शैक्षणिक जीवन की कामना की गई।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्रों ने 'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नाटक' के द्वारा संदेश दिया। कक्षा 8 में प्रथम पुरस्कार मोनू प्रजापति , द्वितीय पुरस्कार अविनाश प्रजापति वही तृतीय

–कक्षा 8 के छात्रों को दिया विदाई

पुरस्कार राधिका गौतम को दिया गया।

इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। जूनियर के हेड मास्टर नन्दलाल , सहायक अध्यापक विष्णु प्रकाश नारायण, प्रदीप कुमार, रियाज अहमद ने छात्रों को शिक्षा के महत्व की जानकारी दिया। कहा कि शिक्षा ही वह मार्ग है जिससे जीवन सुखद होता है। वार्षिकोत्सव, प्रवेश उत्सव और सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

विदाई नये जीवन की नई राह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

रुधौली (बस्ती)। राजकीय महाविद्यालय, रुधौली में शनिवार को बी0ए0 प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र–छात्राओं ने अपने सीनियर्स के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य व मुख्य अतिथि डा0 मु0 नसीर हसन ने सरस्वती प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलन व पुष्प अर्पित कर किया। चॉदनी और कंचन ने सरस्वती वन्दना प्रस्तुत किया जबकि रंभावती ने अतिथियों के स्वागत में स्वागीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान जूनियर छात्र–छात्राओं ने अनेक गीत व मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। बी0ए0 प्रथम वर्ष के छात्र ने अपने विदाई भाषण में मार्मिक रूप से एक नये संघर्ष के प्रति अपने सीनियरों को सचेष्ट रहने की सलाह देते हुये ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान जूनियर्स ने अपने सीनियरों को उपहार प्रदान करते हुये उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

प्राचार्य डा0 मु0 नसीर हसन ने कहा कि विदाई शब्द दुनिया का सबसे भारी शब्द है लेकिन यह यह एक नये जीवन का शुभारंभ भी है। आप तीन साल की शिक्षा को समेकित करते हुये अपने नये जीवन की राह पर अग्रसर हो और हम सब आपके लिए सदैव उपस्थित रहेंगे। आप अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को हमेशा याद रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री जगदीश प्रसाद, डा0 शैलजा व देवानंद ने विद्यार्थियों को आगे बढने के लिए अनेको शुभकामनाएँ प्रदान किया।कार्यक्रम के अन्त में प्रोफेसर डा0 राजेश कुमार शर्मा ने अपने शब्दों को गाने के माध्यम से व्यक्त करते हुये "एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है" नामक गीत सुनाकर सबको भावविभोर कर दिया। समस्त कार्यक्रम का संचालन बी0ए0 द्वितीय वर्ष की छात्रा रंभावती ने किया। इस दौरान महाविद्यालय के समस्त छात्र–छात्राएँ मौजूद रहे।

जबरिया मकान खाली कराने का मामला गरमायाः धरने पर बैठ गई पीड़ित महिलायेंः आश्वासन पर समाप्त हुआ धरना

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बिना किसी पूर्व सूचना के कोतवाली थाना क्षेत्र के मालवीय रोड स्थित बभनगांवा में एक मकान को जबरन खाली कराए जाने का मामला तूल पकड़ता रजा है। शनिवार को जबरिया मकान खाली कराये जाने को लेकर पीड़ित महिलाओं ने मालवीय रोड पर धरना दिया। महिलाओं का कहना था कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनका मकान खाली करा दिया गया। साथ ही मकान के कुछ हिस्सों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

मौके पर पहुंचे कोतवाल के इंस्पेक्टर राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने धरना दे रही महिलाओं से बातचीत की। कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर महिलाओं ने धरना समाप्त कर दिया। धरने के कारण मालवीय रोड पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। महिलाओं का कहना है कि बाहुबल के आधार पर सचिन शुक्ला विधायक अंकुर राज तिवारी के संरक्षण में मकान को तोड़वा रहे हैं। वे न्याय की गुहार लगा रही थी।

कांग्रेस नेता नोमान अहमद ने बताया कि विवादित मकान पर अदालत से स्थगन आदेश मिला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन दबंगों के दबाव में काम कर रहे है। मांग किया कि प्रशासन दोनों पक्षों के दस्तावेजों का अध्ययन कराने के बाद ही कोई निर्णय ले।

पुलिस ने सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। मालवीय रोड पर धरने के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।

भगवान श्री चित्रगुप्त प्रकटोत्सव पर निकली भव्य शोभा यात्रा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कायस्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त जी के प्रकटोत्सव अवसर पर शनिवार को कायस्थ सेवा ट्रस्ट के संरक्षक अंकुर वर्मा , ट्रस्ट संस्थापक अजय कुमार श्रीवास्तव और जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव के संयोजन में गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी।

पैदल यात्रा भगवान श्री चित्रगुप्त मंदिर गौरीदत्त धर्मशाला से पीली कोठी गांधी नगर होते हुये कम्पनी बाग से मालवीय रोड होते हुए चित्रगुप्त मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ।

चित्रगुप्त मंदिर के अध्यक्ष सुरेन्द्र मोहन वर्मा,दिनेश श्रीवास्तव,उमेश श्रीवास्तव, राजेश चित्रगुप्त, अशोक श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, डा०सौरभ सिन्हा, मुकेश, अजय कुमार श्रीवास्तव आदि ने कहा कि युगपिता ब्रह्मा की काया से उत्पन्न होने के कारण इनका कुल 'कायस्थ' कहलाता है, और हर व्यक्ति के हृदय में स्थित होने के कारण इन्हें 'चित्रगुप्त' या 'चित्रांश' के नाम से जाना जाता है। त्रिदेवों के तेज से उत्पन्न श्री चित्रगुप्त में सत, रज और तम ये तीनों गुण त्रिगुणात्मक रूप में विद्यमान हैं। युगों–युगों से कलम के देवता

–सृष्टि में त्रिगुणात्मक रूप में विद्यमान हैं भगवान चित्रगुप्त

के रूप में प्रख्यात चित्रगुप्त की उत्पत्ति कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन पद्म पुराण के सृष्टि खंड में है।

शोभा यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, नवीन प्रदीप श्रीवास्तव, अरविन्द श्रीवास्तव 'गोला' प्रदीप श्रीवास्तव, गोप श्रीवास्तव , परमात्मा श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, दुर्गेश श्रीवास्तव, दुर्गेन्दर श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, सर्वेश श्रीवास्तव, राहुल श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव, नितेश श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव,राजेश श्रीवास्तव, शिवनंदन श्रीवास्तव, विनायक श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, बृजेश श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव, जितेंद्र श्रीवास्तव, अश्वनी श्रीवास्तव ,सतेंद्र श्रीवास्तव,अंशुल आनन्द,डब्बू श्रीवास्तव, मुकेश श्रीवास्तव, प्रकाश मोहन श्रीवास्तव ,आशीष श्रीवास्तव, मनमोहन श्रीवास्तव काजू ,आदर्श अविनाश श्रीवास्तव,रणदीप माथुर के साथ ही चित्रांश परिवार के साथ विभिन्न वर्गो के लोग उपस्थित रहे।

निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स की नृशंस हत्या, भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया पीड़ित परिवार से मुलाकात

भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत टेमा रहमत स्थित संस हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में कार्यरत 24 वर्षीय नर्स ममता चौधरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतका पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के पडुरा गांव की निवासी थी और राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर स्थित उक्त निजी अस्पताल में बतौर नर्स काम कर रही थीं।

घटना की सूचना पाकर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री विवेकानन्द मिश्र शनिवार को बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पडुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़िता के पिता श्री रामभवन चौधरी सहित परिजनों से मुलाकात कर

उन्हें ढांढस बंधाया।

इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय बताते हुए कहा कि, "यह एक मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली घटना है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम हर स्तर पर साथ खड़े हैं।"

भाजपा जिलाध्यक्ष ने मौके पर ही संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दी जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

इस अवसर पर भानु प्रकाश मिश्र, अखण्ड प्रताप सिंह, विद्या मणि सिंह, ब्लॉक प्रमुख अभिषेक कुमार, नीरज प्रजापति, दिव्यांशु दुबे धनन्जय सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 13 अप्रैल 2025 रविवार

सम्पादकीय

तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण

लगभग डेढ़ दशक के प्रयासों के बाद, देश को दहला देने वाले मुंबई आतंकी हमले के सूत्रधार रहे पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण हमारी बड़ी कानूनी व कूटनीतिक जीत है। यह सफलता तब ही पूर्ण मानी जाएगी जब इस साजिश में बड़ी भूमिका निभाने वाले डेविड कोलमैन हेडली का भारत प्रत्यर्पण हो सकेगा। जिसने मुंबई हमले से पूर्व आतंकियों द्वारा निशाने पर लिए गए जगहों की कई बार रेकी करके आतंकी सरगनाओं की मदद की थी। निश्चय की तहव्वुर राणा का भारत लाया जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जांच के बाद मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तान सरकार तथा आईएसआई की भूमिका व पाक स्थित आतंकी संगठनों के खतरनाक मंसूबों का खुलासा हो सकेगा। सही मायनों में यह हमारी खुफिया एजेंसियों की भी कठिन परीक्षा होगी कि इस साजिश की तह तक कैसे पहुंचा जाए। भारतीय खुफिया एजेंसियां से यदि इस बड़ी साजिश की कड़ियां सही तरह से जोड़ पायी तो आतंकवाद की उर्वरा भूमि बने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सकेगा। यही वजह है कि 26॥11 के दहला देने वाले मुंबई हमले के सूत्रधार तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण करने के रास्ते अवरोध खड़े करने में प्रत्यक्ष–परोक्ष तौर पर पाक समर्थकों द्वारा कोशिशें की गई। वे सारे कानूनी उपाय अपनाए गए जो राणा का प्रत्यर्पण रोक सकते थे। बहरहाल, इस प्रत्यर्पण से उन शहीदों के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, जिनकी इस आतंकी हमले में मृत्यु हुई थी। अब तक उनके परिजनों को इस बात का मलाल था कि सोलह साल बाद भी सभी अपराधियों को सजा नहीं मिली सकी है। साथ ही राणा की पूछताछ से होने वाले खुलासों से आतंकवाद की पाठशाला बने पाकिस्तान को अलग–थलग करने के प्रयासों को भी बल मिलेगा। निश्चित रूप से तहव्वुर राणा के खिलाफ भारतीय कानून व न्याय व्यवस्था के मानकों के अनुरूप ही कार्रवाई होगी। साथ ही अजमल कसाब की तरह उसकी अपनी बात कहने को कानूनी मदद भी दी जाएगी।

हालांकि, अब तक पाकिस्तान मुंबई आतंकी हमले में अपना हाथ होने से लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन सभी प्राथमिक सूचनाएं और ठोस सबूत पाक की तरफ इशारा करते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वह अपनी धरती पर कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर–ए–तैयबा के बड़े गुर्गों को संरक्षण देकर उनका बचाव करता रहा है। ऐसे में हमारी जांच एजेंसियों के अधिकारी तहव्वुर राणा से सख्त पूछताछ से सच्चाई सामने लाने में सक्षम हो सकते हैं। साथ ही ठोस निष्कर्षों के आधार पर पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है कि वह अपनी जमीन आतंकवादियों को पालने–पोसने में इस्तेमाल न होने दे। इसके अलावा आतंकी संगठनों पर पर्याप्त दबाव बनाए, ताकि फिर मानवता के खिलाफ मुबई हमले जैसे घटनाक्रम न दोहराए जा सकें। बहरहाल, तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण पाकिस्तान तथा दूसरे देशों में भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे लोगों व संगठनों के लिये साफ संदेश गया है कि इंसानियत के दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में कानून की ओट में बच नहीं सकते। साथ ही पाकिस्तान को आईना दिखा दिया गया है जो तहव्वुर राणा को कनाडा का नागरिक बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा था। निश्चित रूप से इस सफलता में भारत के राजनीतिक व कूटनीतिक प्रयासों की भी बड़ी भूमिका रही है। भारतीय अधिकारियों ने इस दिन के लिये कड़ी मेहनत की। हालांकि, अभी इस रहस्य से पर्दा उठना बाकी है कि अमेरिका ने क्यों अपने नागरिक डेविड कोलमैन हेडली को भारत को सौंपने से परहेज किया। जबकि उसने इस बड़े अपराध में बड़ी भूमिका निभाई थी। हेडली व राणा आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठनों व पाक खुफिया एजेंसियों के संपर्क में लगातार बने रहे थे। बहरहाल, उम्मीद की जानी चाहिए की तहव्वुर राणा से कड़ी पूछताछ के बाद भारतीय एजेंसियां मुंबई हमले में इस्लामाबाद की भूमिका, पाक सत्ता प्रतिष्ठानों की करतूतों,आईएसआई के नेटवर्क व आतंकी संगठनों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की हकीकत देश–दुनिया के सामने ला सकेंगी।

कांग्रेस का ओबीसी पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति

–वेद विलास उनियाल–

कांग्रेस के गुजरात के अहमदाबाद में हुए 84वें अधिवेशन के संकेत स्पष्ट हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के साथ जहां पार्टी को फिर से सशक्त करे के लिए मंथन हुआ, वहीं चुनावों में पार्टी को सफलता दिलाने हेतु रणनीतियों पर भी गहरी चर्चा हुई।

कांग्रेस के सामने लक्ष्य स्पष्ट हैं कि उसे अपने खोये जनाधार को पाने के लिए खासी मशक्कत करनी है। उसे जहां बीजेपी के सामने सबसे बड़ा विकल्प बना रहना है। वहीं उसे अपने जनाधार के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष उन दलों से भी करना है जो उसके साथ अभी इंडिया गठबंधन में खड़े दिखते हैं। ये सारा खेल उस सियासी समीकरण का है जिसमें कांग्रेस अपनी दमदार उपस्थिति दिखाने की जद्दोजहद में जुटी है। इसी दायरे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस से ओबीसी के छिटकने की बात कही।

आजादी के बाद से कांग्रेस की सियासी रणनीति में उच्च जातियों, मुस्लिम और दलितों का ऐसा समीकरण रहा जिसका तोड़ विपक्ष के पास लंबे समय तक नहीं रहा। जनसंघ या तमाम समाजवादी दलों की सियासत मंचों पर तो मुखर रही लेकिन राजनीति के जोड़–घटाने में लगभग डेढ़ दशक तक ये पार्टियां लोकसभा या राज्यों के चुनाव में अंकों की तालिका में बस अपनी उपस्थिति ही जताती रहीं। साठ के दशक के अंत और सत्तर के दशक के शुरुआत में राजनीति के उथल पुथल के दौर में कई बदलाव देखने को मिले। कांग्रेस में खुलकर गुटबाजी और राजनीतिक पैंतरेबाजी देखने को मिली। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व ने उस समय की स्थितियों को संभाल लिया। उनके नेतृत्व वाले धड़े को ही असली कांग्रेस के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन कांग्रेस का जनाधार पहली बार यहीं से खिसकना शुरू हुआ था। इसी के चलते यूपी, बिहार जैसे राज्यों में विपक्ष की सरकारें बनीं। हालांकि, 71 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी के करिश्माई नेतृत्व से फिर से कांग्रेस को एक बड़ा आधार मिला। अगर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव परिणामों को छोड़ दें, तो उसके बाद कांग्रेस अपने जनाधार को वापस पाने के लिए लगातार जूझती रही है। 90 के दशक में कांग्रेस के लिए यह लड़ाई और कठिन हो गई। मंडल–कमंडल के बीच कांग्रेस का गलियारा छोटा हो गया। पूर्व पीएम वीपी सिंह ने ठंडे बस्ते में पड़ी मंडल आयोग की सिफारिश लागू की और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू हुआ। तब भविष्य की राजनीति की थाह न ले कांग्रेस ने इसका विरोध किया।

कांग्रेस ने अपनी सियासी रणनीतियों में जिन जातियों को फोकस किया उसमें पिछड़ी जातियां नहीं थीं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रभामंडल में पिछड़ी जातियों के वोट कांग्रेस को पड़ते रहे। उसके लिए इन जातियों को अपने साथ जोड़ने की पहल बहुत ज्यादा नहीं हुई। दूसरी तरफ इसी दौर में यूपी में सपा, बिहार में आरजेडी, ओडिशा में बीजू जनता दल, कर्नाटक में जनता दल यू जैसे दल उभरे और अपनी पृष्ठभूमि में सशक्त हुए। राजनीति की बयार को समझने वाले कांशीराम ने 1984 में बसपा को स्थापित किया तो उनके अपने लक्ष्य स्पष्ट थे। ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक दशक से भी कम समय में यूपी में सपा–बसपा का एक मजबूत चक्रव्यूह तैयार हुआ।

इसी बारीक सियासी पेंच को समझना होगा कि जहां पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां सपा आरजेडी जैसे दलों के साथ जुड़ गईं, वहीं बाबरी मस्जिद ढहने के बाद मुस्लिमों ने कांग्रेस से किनारा कर दिया। कांग्रेस आज तक अपने जनाधार की कोशिश में है।

दूसरी तरफ राममंदिर आंदोलन ने बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता बनाया। इसके साथ ही सामाजिक समीकरणों में बीजेपी ने पिछड़ी जातियों और दलितों के बीच उन समूहों को साधने की कोशिश की जो अपने को कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे थे। खासकर 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने ओबीसी को प्रभाव में लाने के लिए जतन किए। यही नहीं बीजेपी ने अपनी बिसात बिछाते हुए हरियाणा मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री दिए वहीं ओडिशा में आदिवासी समाज के नेता को नेतृत्व सौंपा। इसी ओबीसी की पिच पर कांग्रेस अब बीजेपी और दूसरे दलों से जूझना चाहती है। कांग्रेस के अधिवेशन से ठीक पहले राहुल गांधी के इस बयान के अपने मायने हैं कि हम ब्राह्मण, दलित मुस्लिम में ही उलझ गए ओबीसी हमसे दूर हो गया।कांग्रेस अब महसूस कर रही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी वह सपा व आरजेडी जैसे तमाम दलों से अल्पसंख्यकों के आधार को छीन नहीं पा रही है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति ओबीसी को साधने की है। दरअसल, 2017 में ही कांग्रेस ने इस तरफ सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वह इस तरफ मुखर होना चाहती है। संसद में भी राहुल गांधी ने ओबीसी पर गंभीर नजर आए हैं। यही वजह कि वह जातीय गणना के मामले को तूल दे रहे हैं।

–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

व्यापार युद्ध भारत के लिए अवसर और चुनौतियां

–पूरन चंद सरीन–

व्यापार युद्ध क्या है इसका उदाहरण अमरीका द्वारा दुनिया के उन देशों पर जिनके साथ उसके व्यापारिक संबंध हैं, अपने बनाए टैरिफ को लागू करना है। यह कदम उन देशों, विशेषकर चीन जो एक महाशक्ति बन चुका है और वे जो उसे चुनौती दे सकते हैं, पर लगाम लगाने की कोशिश करना है। इसे ब्लैकमेल करना भी कह सकते हैं। जो उस पर निर्भर हैं वह सोच सकते हैं कि अमरीका उनकी बनाई चीजों का सबसे बड़ा खरीददार है इसलिए उसकी बात न मानना खतरे को न्यौता देना है। यह उसकी दरियादिली नहीं कि 3 सप्ताह तक चीन के अतिरिक्त बाकी देशों में टैरिफ लागू नहीं होंगे बल्कि इस बात का संकेत है कि यह व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। भारत को केवल अमरीका के संदर्भ से हटकर चीन के नजरिए से भी सोचना होगा क्योंकि वह महाशक्ति बन चुका है।

जहां तक हमारे देश का संबंध है, इस बात पर ङ्क्षचतन और मनन करना जरूरी हो जाता है कि जो देश हमसे 2 वर्ष बाद सन् 1949 में स्वतंत्र हुआ, वह आज हमसे बहुत आगे निकल गया तो कुछ तो इसके कारण होंगे। वर्तमान समय में यह तुलना आवश्यक ही नहीं आर्थिक विकास की नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए भी महत्वपूर्ण है। चीन में भी राजशाही थी और भारत में भी राजे रजवाड़े, नवाब और शहंशाह हुकूमत करते थे। हमारी नीतियां कम्युनिस्ट चीन से कोई मेल नहीं खातीं जिसने अपने आपको एक ऐसे पर्दे में कैद कर लिया था जिसे भेदना आसान नहीं था जबकि हम वसुधैव कुटुंबकम् की बात करते रहे हैं।

चीन न अपने यहां किसी को बुलाता है और न ही वहां बसने के लिए प्रेरित करता है। आज भी नौकरी या व्यापार के लिए चीन बेशक जाना पड़ जाए लेकिन जो लोग वहां गए हैं, वे चीन के विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचने की बात तो करते हैं लेकिन उनके यहां के नियमों और पाबंदियों का हर किसी के लिए पालन करना मुश्किल है इसलिए वहां बसने की बात नहीं सोची जा सकती। चीन और भारत, आबादी तथा प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा में काफी मालामाल हैं। सन् 1978 के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया। उनके नेताओं की चीन प्रथम की सोच थी जैसे अब ट्रम्प अमरीका प्रथम और हम भारत प्रथम कहते हैं। इसके लिए यह सोच बदलनी होगी कि किसी भी तरह विदेश जाओ और वहां से पैसे कमाकर भारत भेजो और कभी घूमने या अपनी जन्मभूमि की सैर करने का मन करे तो आ जाओ।

अपने बच्चों को दिखाओ कि हम किस देश से आए हैं जो उन्हें कभी अपना नहीं लगता और जल्दी से जल्दी यहां से चले जाना चाहते हैं। चीन के विकास की गति पकडने का कारण है कि सरकार के नियमों के अनुसार जहां जिसे रहने के लिए कहा जाए, कोई कारखाना लगाने या कारोबार करने के लिए कहा जाए, वह मना नहीं कर सकता। इसके लिए कैसी भी रुकावट पैदा करना देशद्रोह की तरह है। समय सीमा में कोई भी प्रोजैक्ट पूरा करना अनिवार्य है बल्कि ऐसे उदाहरण हैं कि तय समय से पहले ही वे पूरे हो गए, यदि किसी बात का विरोध भी करना है तो उसका जवाब चक्का जाम नहीं बल्कि अधिक उत्पादन कर के देना है। हमारे देश में समस्या है कि कोई प्रोजैक्ट शुरू होने के बाद उसके पूरे होने के समय की कोई गारंटी नहीं कि कब पूरा होगा।

चीन में स्त्री और पुरुष दोनों को काम करना पड़ता है और वह भी सरकार जिस तरह चाहे। कोई निठल्ला नहीं बैठ सकता। मानव संसाधन का भरपूर उपयोग कर अधिक उत्पादन करना और वेतन भी वही जो निश्चित है। चीनियों ने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सभी की जरूरत का ध्यान रखते हुए अपने उत्पाद तैयार किए, जैसी जिसकी जरूरत वैसे उसके दाम की नीति अपनाकर उसने निश्चित कर लिया कि ग्राहक कोई भी हो, उसके यहां से बिना खरीदे नहीं जाएगा। प्रत्येक उत्पाद में कोई न कोई चीनी पुर्जा लगता है। अमरीका की दुविधा है कि उसके यहां जो सामान बनता है उसमें एक न एक चीनी पुर्जे के इस्तेमाल की जरूरत होती है। चीन भी इसीलिए उससे डर नहीं रहा और वह जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस व्यापार युद्ध में इन दोनों देशों का जो होना होगा वो तो होगा ही लेकिन इसका असर दूसरे देशों पर पड़ेगा, यह निश्चित है। भू–मंडलीकरण के दौर में कोई भी अलग रहकर व्यापार नहीं कर सकता, उसे किसी से कुछ खरीदना या किसी को कुछ बेचना ही है। चीन और अमरीका के आपसी व्यापारिक संबंधों का असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। वे एक–दूसरे का सामान महंगा करते हैं तो बाकी देश भी प्रभावित होते हैं। यह टैरिफ का मुद्दा नहीं विश्व व्यापार का है। जहां तक फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार का सवाल है तो वही देश कर सकते हैं जो बराबरी कर सकें। भारत के लिए यह एक चेतावनी है कि अगर हमने अपनी व्यापारिक नीतियों में सुधार नहीं किया तो उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार की नीति है कि हमारी बनाई वस्तु हमें महंगी मिले और उसका निर्यात हो तो वह विदेश में सस्ती मिले। इसे बदलकर नए सिरे से किसी भी वस्तु के मूल्य तय करने की नीति बनानी होगी ताकि व्यापार संतुलन बनाए रखा जा सके।

आत्मनिर्भर भारत की कल्पना यही है कि सबसे पहले देशवासियों की आवश्यकताएं पूरी हों। अधिकतम खुदरा कीमत के नाम पर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रकम का लेबल लगाया जाता है और मोलभाव करने पर कम दाम पर सौदा हो जाता है। यह गोरखधंधा है और देशवासी सिवाय यह कहने के कि बहुत महंगाई है, कुछ नहीं कर सकते।

कार्यालय ग्राम पंचायत-सबदेइया कला वि0ख0 साऊंघाट जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा, पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14–04 2025 से 16–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 11.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 17–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 1.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हेण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रामबृक्ष कन्नौजिया) ग्राम प्रधान **(अखिलेश वर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

मंहगी होती शिक्षा

– संतोष कुमार पाठक –

दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूलों के बाहर मनमानी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिवावक प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं वसंतकुंज स्थित एक प्राइवेट स्कूल ने तो अभिभावकों के स्कूल परिसर में आने पर प्रतिबंध तक लगा दिया है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस में बेलगाम बढ़ोतरी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्राइवेट स्कूलों के संचालकों में मुनाफा कमाने का लालच इस कदर बढ़ता जा रहा है कि वे सारी सीमाओं को तोड़ते जा रहे हैं। स्कूल से जबरदस्ती महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने का मामला हो या फिर तय की गई दुकानों से ही घटिया क्वालिटी की ड्रेस ज्यादा कीमत पर खरीदने का दबाव हो, ऐसा लगता है कि इनपर कोई कानून या नियम लागू नहीं होता है।

प्राइवेट स्कूलों की लॉबी इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है कि अब इन्हें सरकारों का भी कोई भय नहीं रहा है। शुक्रवार को दिल्ली के एक नामी–गिरामी स्कूल से ऐसी खबर आई जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली के एक बड़े स्कूल ने तो बच्चों को ही बंधक बना लिया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक बड़े स्कूल में फीस बढ़ोतरी को लेकर वहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिवावक प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच स्कूल के प्रबंधकों ने कुछ बच्चों को लाइब्रेरी में बंधक बना लिया। एक न्यूज चौनल ने तो यहां तक दावा किया है कि बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करने के मामले की जांच साउथ वेस्ट डीएम लक्ष्य सिंहल ने की और उन्होंने यह भी माना कि जब वे जांच करने स्कूल पहुंचे तो उन्होंने खुद बच्चों को लाइब्रेरी में बैठे हुए पाया। डीएम ने जांच की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज दी है। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की बीजेपी सरकार इस स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक उदाहरण सेट करेगी ताकि भविष्य में कोई भी स्कूल इस तरह की हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सके।

दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूलों के बाहर मनमानी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिवावक प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं वसंतकुंज स्थित एक प्राइवेट स्कूल ने तो अभिभावकों के स्कूल परिसर में आने पर प्रतिबंध तक लगा दिया है। सही मायनों में कहा जाए तो यह स्कूलों की तानाशाही है और इस देश की सरकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े करती है।

देश की राजधानी दिल्ली में 1700 के लगभग प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूल 448 हैं। सरकार द्वारा बनाए गए नियम के हिसाब से सभी स्कूलों को हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। अगर शिक्षा निदेशालय को फीस बढ़ोतरी गलत लगती है, तो वो इसे रोक सकती है और स्कूल को बढ़ी हुई फीस अभिवावकों को वापस देनी होगी।

लेकिन सरकार चुप है, अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं और इसका नतीजा स्कूलों की मनमानी के रूप में सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूलों ने 10 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक फीस बढ़ा दी है। ये स्कूल ट्यूशन फीस, डिवेलपमेंट फीस, ट्रांसपोर्ट फीस के अलावा ओरिएंटेशन फीस, एसी, स्कूल ऐप और स्मार्ट क्लास के नाम पर भी तगड़ी वसूली कर रहे हैं।

दिल्ली की बीजेपी सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि उनकी सरकार बनने के बाद शुरू हुए स्कूलों के नए सत्र में ही यह फीस बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर दिल्ली के लोगों को यह लगने लगा है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद ही दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के मालिकों में मनमानी करने की हिम्मत आ गई है। यह बात अगर दिल्लीवासियों के मन में बैठ गई तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार कर रही है। समय की यह मांग है कि सरकार आगे आए और इन प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी, मनमानी और तानाशाही भरे रवैए पर रोक लगाए या फिर कड़ी कार्रवाई करें। हालांकि यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि प्राइवेट स्कूलों की यह मनमानी किसी एक शहर या किसी एक राज्य तक ही सीमित भर नहीं है।

कार्यालय ग्राम पंचायत-हटवा वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14–04 2025 से 23–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 02.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 24–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अर्जुन) ग्राम प्रधान   **(अंकुर कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-केवटाखोर वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14–04 2025 से 22–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 02.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 23–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(विरामा देवी) ग्राम प्रधान   **(सिराज अहमद)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-सिसवा वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14–04 2025 से 22–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 02.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 23–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(मालती) ग्राम प्रधान   **(अंकुर कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-बंजरिया वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14–04 2025 से 21–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 02.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 22–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सोनम वर्मा) ग्राम प्रधान   **(सिराज अहमद)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-हरिहरपुर वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14–04 2025 से 21–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 02.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 22–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(मंजू) ग्राम प्रधान   **(अंकुर कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-मधवापुर वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14–04 2025 से 24–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 02.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 25–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(राजमणि) ग्राम प्रधान   **(अंकुर कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

झांसा देकर झोलाछाप डाक्टर करने लगा प्रसूता का ऑपरेशन, मौत, परिजनों ने किया हंगामा

संवाददाता–देवरिया। रुद्रपुर नगर के सेमरौना पुल के सटे एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद संचालक आनन फानन में मृतका सहित परिजनों को अस्पताल से बाहर कर ताला बंद कर फरार हो गया। घटना शुक्रवार की देर रात 2 बजे सेमरौना पुल करीब मलह टोली वार्ड के के एक निजी अस्पताल की है।

मृतका नगर के चौहट्टा वार्ड निवासी है। शनिवार की सुबह परिजन अस्पताल पर हंगामा कर कार्रवाई की मांग करने लगे। चौहट्टा वार्ड निवासी कुश राजभर की बेटी सुनैना 24 साल की शादी मोहल्ले में गोविंद से हुई थी। गोविंद पंजाब रहकर कमाता है। वह पत्नी सुनैना की डिलेवरी कराने के लिए घर आया था।

गोविंद ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आशा लेकर उसे सेमरौना स्थित निजी अस्पताल में ले गई। रात में संचालक एक महिला के साथ ऑपरेशन करने लगा, जबकि उसने बाहर से चिकित्सक बुलाने का झांसा दिया था। ऑपरेशन शुरु होते ही वह रुपये की डिमांड करने लगे। परिजनों ने तत्काल रुपये दिए, कुछ देर बाद वह ऑपरेशन थियेटर से बाहर आया और एक मेल बेबी को

दिया। 15 मिनट बाद संचालक ने प्रसूता को बाहर निकलवा दिया। घर वाले कुछ समझ पाते वह सबको अस्पताल से बाहर कर ताला बंद कर फरार हो गया। महिला को मरा देख परिजन अवाक रह गए। मृतका के पति ने बताया कि एक आशा मोहल्ले की अन्य महिलाओं को लेकर यहीं आती रही है।

हनुमान जयंती पर एएसपी मनोज रावत ने फरियादियों को बांटा प्रसाद

संवाददाता–गोण्डा। इटियाथोक कोतवाली पुलिस ने हनुमान जयंती के अवसर पर थाने के सामने भंडारे का आयोजन किया। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज रावत और नायब तहसीलदार ने प्रसाद वितरण के साथ भंडारे का शुभारंभ किया। प्रभारी निरीक्षक शेषमणि पांडे ने जानकारी दी कि हनुमान जयंती के मौके पर थाने में प्रसाद तैयार करवाया गया। इस दौरान थाने पर आने वाले सभी फरियादियों को एएसपी मनोज रावत ने स्वयं प्रसाद वितरित किया। प्रसाद पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई।

अंतर्जनपदीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश

संवाददाता–गोण्डा। नवाबगंज थाना पुलिस ने अंतर्जनपदीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लौव्वावीरपुर के महंगूपुर मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा। आरोपी की पहचान कमलेश के रूप में हुई है, जो तुलसीपुर माझा के पूरे बालू का निवासी है। पूछताछ में पता चला कि वह अलग–अलग जिलों से बाइक चोरी करता था। चोरी के बाद चेसिस नंबर मिटाकर और नंबर प्लेट बदलकर बाइकों को नेपाल में बेच देता था। थाना अध्यक्ष अभय सिंह के अनुसार, आरोपी का संबंध वजीरगंज में तीन महीने पहले पकड़े गए ऑटो लिफ्टर गैंग से है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर नवाबगंज–मनकापुर मार्ग स्थित पर्वती गांव के एक खंडहर से 9 और बाइकें बरामद कीं।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–08/2004
कोमल प्रसाद
बनाम
बंशराज
1/4/1 राजू पुत्र राम गुलाम 1/4/2 चन्द्रशेखर पुत्र राम गुलाम 1/4/4 मालती देवी पुत्री राम गुलाम निवासीगण ग्राम पिपरा पंड़ित तप्पा उजियार परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीर नगर

तारीख पेशी 03–05–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 03 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख 11 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रतिकर वाद सं0–17/2022
गनी मोहम्मद आदि
बनाम
वन्दना मिश्रा
1. वन्दना मिश्रा पत्नी श्री उत्तम मिश्रा निवासी 1008 बंगाल स्वीट्स अमोल्ला टावर पोस्ट बसखारी जिला अम्बेडकरनगर पिन कोड–224129 (वाहन स्वामी टेम्पो नं0–यू0पी0–45 टी/5507)

तारीख पेशी 15–04–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 15 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
नं0मु0– 01/2025
धारा 72/73 रजिस्ट्रेशन एक्ट
अदालत– श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला–बस्ती
राणा प्रताप सिंह
बनाम
ऋषिकेश आदि
1/1 दिनेश प्रताप सिंह 1/2 राकेश प्रताप सिंह 1/3 सिद्धार्थ सिंह पुत्रगण हरिवंश सिंह 1/4 रामलली पत्नी हरिवंश सिंह साकिनान बेलाड़ी तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 25–04–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 25 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 11 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत-तेलियाडीह वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14–04 2025 से 25–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 02.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 26–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(ललिता देवी) ग्राम प्रधान **(सिराज अहमद)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-सेखुई वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14–04 2025 से 24–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 02.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 25–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(ध्रुवचन्द्र) ग्राम प्रधान **(सिराज अहमद)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-औड़जंगल वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14–04 2025 से 23–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 02.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 24–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(क्रांति कुमार) ग्राम प्रधान **(सिराज अहमद)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-बरवा वि0ख0 साऊंघाट जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 11.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 1.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(ऊषा देवी) ग्राम प्रधान **(अखिलेश वर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-बायपोखर वि0ख0 साऊंघाट जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14–04 2025 से 16–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 17–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 02.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(मुनक्का देवी) ग्राम प्रधान **(अखिलेश वर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-लखनौरा वि0ख0 साऊंघाट जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 14–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अम्बिका शुक्ला) ग्राम प्रधान **(अखिलेश वर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

सनकी पति ने पत्नी पर गंड़ासे से ताबड़तोड़ वार, मासूम को गला घोंट कर मार डाला

संवाददाता–अयोध्या। नगर कोतवाली क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां एक सनकी पति ने जमकर तांडव मचाया। बछड़ा सुलतानपुर स्थित शिवपुरी कॉलोनी क्षेत्र में उसने अपनी पत्नी और छोटे बच्च्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। इसके साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य संकलन कराया गया है। महिला के गले और सिर पर धारदार हथियार के वार के निशान मिले हैं, जबकि मासूम की गला घोंट कर हत्या किए जाने की आशंका है।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

अपील सं0

अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मण्डल बस्ती जिला–बस्ती

श्रीमती सुशीला देवी

बनाम

महंगी आदि

बनाम– 1. राम चन्दर 2. रामभवन 3. फूलचन्द्र पुत्रगण महंगी 4. सावित्री देवी पत्नी हरिश्चन्द्र 5. श्रीमती धनपाती पत्नी श्यामलाल 6. दिनेश कुमार पुत्र हरीशचन्द्र 7.बृजेश कुमार पुत्र हरीशचन्द्र 8. अर्जुन पुत्र बहाल 9. मो0 हनीफ पुत्र हक्कू निवासीगण ग्राम कटबन्ध तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर 10. अजय कुमार पुत्र गोपीमल निवासी स्टेशन रोड पुरानी बस्ती जनपद–बस्ती

तारीख पेशी 16–04–2025

अपील बनराजी अदालत मुकाम मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 16 महीना 04 सन 2025 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख 11 माह 04 सन 2025 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)

नं0मु0–T 202417140305476

धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006

अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय (न्यायिक) बस्ती जिला–बस्ती

नीतू सिंह

बनाम

सरोज शुक्ला आदि

साकिन बेदुआवारी तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती

1. सरोज शुक्ला पुत्री परमात्मा प्रसाद मिश्र साकिन महदेव 2. उर्मिला सिंह पत्नी ओम प्रकाश सिंह निवासी ग्राम तेनुआ 3. सुशील कुमार पुत्र लक्ष्मी शंकर साकिन महदेव तप्पा जात सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 20–04–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 20 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैस़ला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

मूलवाद संख्या 35/2024

न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

राम सेवक आदि

बनाम

परमहंस मिश्रा आदि

1. श्रीमती मिथिला मिश्र पत्नी परमहंस मिश्रा 2. राजेश 3. राकेश पुत्रगण परमहंस मिश्रा साकिनान मौजा खरचौला नानकार तप्पा असनार परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

–प्रतिवादी प्रथम पक्ष

4. दीपक 5. अष्टभुजा 6. मनीष पुत्रगण अर्जुन 7. रमाकान्त 8. लक्ष्मीकान्त पुत्रगण रामबक्श 9. सर्वज्ञनाथ पुत्र राम अजोर मिश्रा 10. विजय प्रताप पुत्र रामपियारे 11. अशोक कुमार 12. अजीत पुत्रगण रामतेज 13. श्रीमती सुशीला विधवा रामतेज 14. विजय बहादुर 15. विजय किशोर 16. रामसागर पुत्रगण भागीरथी 17. पंकज 18. नीरज पुत्रगण बृहस्पति साकिनान मौजा खरचौला नानकार तप्पा असनार परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर 19. राम प्रकाश पुत्र बंशनाथ 20. दीपक 21. संजय पुत्रगण चन्दू 22. यशोदा देवी विधवा चन्द्रप्रकाश 23. सुरेन्द्र प्रकाश पुत्र आद्या प्रसाद साकिनान खरिका दूबे तप्पा असनार परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

–प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष

तारीख पेशी 02–05–2025

प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक **02–05–2025** को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**

संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।

मो09450567450 9336715406,
ई.मेल bhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com